वित्त मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 23 अप्रैल 1970

सं० एफ० 7(25)-ई III (ए)/69 - भारत सरकार ने एक वेतन आयोग नियुक्त करने का निर्णय किया है जिसका गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायगा :-

अध्यक्ष

(1) श्री रघुबर दयाल, सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश ।

सदस्य

(2) डा० निहार रंजन राय ।
(3) प्रो० ए० के० दास गुप्त ।
(4) डा० वी० आर० पिल्लै ।

सदस्य सचिव

(5) श्री एच्० एन्० राय, आय्० सी० एस० ।

2. आयोग को निम्नलिखित बातों की जांच करनी होगी और उन पर अपनी सिफारिशें देनी होंगी :-

(i) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन के ढांचे और सेवा की शर्तों के नियामक सिद्धान्त ;

(ii) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के वेतन के ढांचे और सेवा की शर्तों में कौन से परिवर्तन वांछनीय तथा व्यवहार्य हैं ;

(iii) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति लाभ ;

(iv) अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों के वेतन-क्रम का ढांचा, सेवा की शर्तें तथा मृत्यु-एवं-सेवा निवृत्ति लाभ;

(v) सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को ध्यान में रखते हुए उनके वेतन के ढांचे, नकद तथा माल के रूप में मिलने वाले लाभ; और मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति लाभ ;

(कृ० पृ० उ०)

(vi) संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन के ढांचे तथा सेवा की शर्तें एवं मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति लाभ ; और

(vii) निम्नतम वेतन के स्तर की जांच करते समय आयोग, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की इस मांग को भी जांच कर सकता है कि न्यूनतम वेतन आवश्यकता पर आधारित होना चाहिये ।

3. आयोग, अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने में, अन्य संबंधित कारणों के साथ साथ, देश की आर्थिक स्थिति, केन्द्रीय सरकार के साधनों को तथा उन साधनों पर विकासोन्मुख आयोजना रक्षा-व्यवस्था तथा राष्ट्रीय सुरक्षा-व्यवस्था जैसे प्रयोजनों के लिए धन की आवश्यकता को, एवं राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों, आदि के वित्तीय साधनों पर पड़ने वाले प्रभावों को भी ध्यान में रखेगा ।

4. अगर, जीवन निर्वाह मूल्य में वृद्धि को देखते हुए, आयोग द्वारा किये जाने वाले विचार-विमर्श के दौरान अन्तरिम किस्म की राहत पर विचार करने की आवश्यकता उपस्थित हो तो आयोग अन्तरिम किस्म की राहत की मांग पर विचार कर सकता है और उस पर अपनी रिपोर्टें दे सकता है । अगर आयोग किसी भी प्रकार की अन्तरिम राहत दिये जाने की सिफारिश करे तो आयोग इस बावत भी सुझाव देगा कि इस प्रकार की राहत किस तारीख से दी जाय ।

5. आयोग अपने कार्य की विधि स्वयं ही निर्धारित करेगा और किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई सलाहकार नियुक्त करने की जरूरत महसूस करेगा तो ऐसे सलाहकार नियुक्त करेगा । वह जैसी जरूरी समझेगा वैसी जानकारी मंगवा सकेगा और वैसे साक्ष्य ले सकेगा । आयोग द्वारा जो जानकारी तथा दस्तावेज और अन्य सहायता मांगी जायगी, वह भारत सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत की जायगी । भारत सरकार विश्वास करती है कि आयोग को राज्य सरकारों, सेवा संस्थाओं और अन्य संबंधित संगठनों आदि द्वारा पूरा सहयोग तथा सहायता दी जायगी ।

(कृ० पृ० उ०)

6. आयोग अपनी सिफारिशें यथा-शक्य शीघ्र प्रस्तुत करेगा ।

- - -

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक एक प्रतिलिपि भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों तथा अन्य सभी संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों आदि को भेजी जाय ।

पी गोविन्दन नायर.

(पी० गोविन्दन नायर)
सचिव भारत सरकार

- - -

ठाकुर
- - -